संख्या–2204 / 14–2–2018–800(68) / 2018

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 15 **जून, 2018**

विषय :– जनपद चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–76 / 35 (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे 332 किमी0 से 349 किमी0 (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33 / 11 के0वी0 विद्युत लाइन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या–08बी / यू.पी. / 04 / 38 / 2018 / एफसी / 74 दिनांक 25.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं / अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–5119 / 11–सी–एफसी / यूपी / TRANS / 29629 / 2017 दिनांक 30.05.2018 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं / अभिलेख 02 प्रतियों में शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 30.05.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं / अभिलेख की एक प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या–2239(1) / 14–2–2018–तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 दीपक कोहली)
अनु सचिव।

Data D. SO.Nodal.GOI Letter